न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेदसिंह रतनू, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 26/2019

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
जेठमल पुत्र नेमीचन्द जाति जैन निवासी कल्याणपुरा शिवकर रोड बाड़मेर (मैसर्स नाकोड़ा भैरव ट्रेडिंग कम्पनी शनि मंदिर के पास, हमीरपुरा, बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स नाकोड़ा भैरव ट्रेडिंग कम्पनी शनि मंदिर के पास, हमीरपुरा, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **17.11.2017** को अलग–अलग टीन में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति (15 किग्रा टीन में से)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी ब्राण्ड शक्ति (15 किग्रा टीन में से)** के कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–863** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति (15 किग्रा टीन में से)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति (15 किग्रा टीन में से)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद ... अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:42:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई अभिकथित कार्यवाही के समय अप्रार्थी मौके पर मौजूद नहीं था तथा न ही उसको इस बात की सूचना दी गई है। प्रकरण में शक्ति घी ब्राण्ड के निर्माता एवं उसके मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। उपर्युक्त सैम्पल को सीलबंद हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में की गई उक्त कार्यवाही एकपक्षीय होने से उक्त प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **05.12.2017** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को विधि–विरूद्ध मानते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही प्रकट किया है कि प्रकरण में शक्ति घी ब्राण्ड के निर्माता एवं उसके मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। प्रस्तुत परिवाद **घी ब्राण्ड शक्ति (15 किग्रा टीन में से)** से संबंधित है, जिसकी प्रयोगशाला जांच में Butyro-refractometer reading at 40º C 40.00 to 43.00 के मुकाबले 44.61 तथा Reichert value न्यूनतम 28.0 के मुकाबले 15.09 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। यद्यपि अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि प्रकरण में शक्ति घी ब्राण्ड के निर्माता एवं उसके मालिक को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है, किन्तु स्वयं द्वारा ही पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को अंतिम पार्टी मानते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का निवेदन किया है। इस प्रकार जब स्वयं द्वार ही निर्माता से खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किये हैं तो निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के तथ्य का अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत [illegible] प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन [illegible] अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 2,00,000/–** का

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:42:22 IST
Reason: SelfAttested

जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5 आदेश आज दिनांक 21.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिरट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:42:22 IST
Reason: SelfAttested